न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/136/2018	2018/000241	04.07.2018	15.09.2021

01–बनारसी पत्नी उमराव जाति मीना निवासी केरवाडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

–अपीलांट

बनाम

01– राज0सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर।

–रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेडा दिनांक 18.06.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 07/2018

उपस्थितः–

01–श्री दिनेश कुमार यादव –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 18.06.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम केरवाड़ा की सरकारी गैर मुमकिन चारागाह एवं गैर मुमकिन रास्ता आराजी ख.नं. 62, रकबा 0.18, है0 63 रकबा 0.40 है, 63/2597 रकबा 0.07 है0 में से 0.04, 0.08, 0.01 है0 पर पश्चावर्ती अवैध कब्जा करने/अतिक्रमण करने पर की गई सजा व पैनेल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम केरवाडा की सरकारी गैर मुमकिन चारागाह व गैर मुमकिन रास्ता पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए पटवारी हल्का हल्दीना द्वारा रिपोर्ट दिनांक 02.05.2018 को अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने 03 माह की सजा व पचास गुना पैनेल्टी से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है व पूर्व में अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया गया है तथा किसी प्रकार की साजा से आरोपित नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 9.10.2017 अपास्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस का मनन किया। तहसीलदार मालाखेडा से विवादित आराजी के अतिक्रमण की वर्तमान रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी मौंका रिपोर्ट दिनांक 17.07.2018 में अंकित किया है कि **"ग्राम केरवाडा के विवादित आराजी खसरा नम्बर 62 रकबा 0.18, किस्म बारानी–2 चारागाह, 63 रकबा 0.40 किस्म बारानी–2 चारागाह व खसरा**

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

नम्बर 63/2599 रकबा 0.07 है0 गैर मुमकिन रास्ता में मौके पर तेजू द्वारा अतिक्रमित भूमि में बाजरा, धन्नी ने चोला, बनारसी व रामसिंह ने बाजरा बो रखा है। अतिक्रमियों के वारिस मौके पर उपस्थित मिले जिन्होने कब्जा हटाने से मना किया। मौके पर उक्त अराजीयात पर अतिक्रमियान का अतिक्रमण पाया गया। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा अतिक्रमियान को मौके से बेदखल किये जाने बावजूद अतिक्रमियान ने प्रश्नगत आराजी से अपना अतिक्रमण नहीं हटाया है। प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्त एंव न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाता है। तहसीलदार मालाखेडा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91(6)भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं विवादित आराजी से तुरन्त अतिक्रमी का अतिक्रमण हटवायें।

निर्णय प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर
अलवर (राज०)

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर
अलवर (राज०)